

30-11-17

वादी रामवीर सहित एवं महेश, रामदास तथा कमलाबाई की ओर से अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर उपस्थित।

वादी क्रमांक 4 मृत के संबंध में वाद का उपशमन हो चुका है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम उप०।

प्रतिवादी क्रमांक 3 मृत।

प्रतिवादी क्रमांक 2,4,5 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आज वादी रामवीर की उप० एवं शेष वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी पर विचार हेतु नियत है।

आज दिनांक को वादी रामवीर उप०। वादी रामवीर द्वारा आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद वापिस लेने के आधार पर समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया।

उक्त आवेदन के संबंध में आज दिनांक को वादी रामवीर के कथन अंकित किए गए।

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में वादी महेश, रामदास एवं कमलाबाई द्वारा भी प्रस्तुत वाद वापिस लिए जाने हेतु आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है।

दोनों आवेदन एक ही स्वरूप के होने के कारण दोनों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

उक्त दोनों आवेदनों पर विचार किया गया।

प्रकरण में वादीगण द्वारा आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि विवादित जगह के संबंध में उनका प्रतिवादीगण से कोई विवाद नहीं बचा है अतः वह वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं वाद वापिस लेना चाहते हैं। उक्त आवेदन के संबंध में वादी महेश, रामदास, कमलाबाई एवं रामवीर के कथन भी अंकित किए गए। वादीगण ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में भी यह व्यक्त किया है कि उनका प्रतिवादीगण से कोई विवाद नहीं रह गया है एवं वह वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी उक्त संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी है।

चूंकि वादीगण प्रस्तुत वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं वाद वापिस लेना चाहते हैं अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी स्वीकार किया जाता

है एवं वादीगण को वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वापिस लिए जाने के आधार पर प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
ए.सी.जे.-1 गोहद

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उप)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)